रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] No. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26—जून 1, 2018 (ज्येष्ठ 5, 1940)

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26—JUNE 1, 2018 (JYAISTHA 5, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

ਰਿਥ੍ਹਾ_ਸੂਜੀ

	, /L-11	1-1-1-1	
गृष्ठ सं.	-	पृष्ठ सं.	
-	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक	-	भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के
*	आदेश और अधिसूचनाएं		मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों		गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा
	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय	289	संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के
	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक		मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
	नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य		गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों,
	स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी		पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में
	प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत	327	अधिसूचनाएं
	के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित		भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों
*	होते हैं)		और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में
	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक	9	अधिसूचनाएं
*	नियम और आदेश		भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी
	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और		अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,
	महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल	725	छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
	विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध	*	भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम
	और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई		भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों
915	अधिसूचनाएं	*	का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और		भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों
*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*	के बिल तथा रिपोर्ट
	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन		भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों
*	अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,		(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय
	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों		प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
	द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक
1907	और नोटिस शामिल हैं		नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और
	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों	*	उपविधियां आदि भी शामिल हैं)
1045	द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस		भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों
	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों		(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय
*	को दर्शाने वाला सम्पूरक		प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the		by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative	*
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	289 327	texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
Part I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi		Attached and Subordinate Offices of the Government of India	915
language, of Acts, Ordinances and Regulations Part II—Section 2—Bills and Reports of the Select	*	PART III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Committee on Bills	*	PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	
Administration of Union Territories) PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory	*	Part IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1045
Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and	
(other than the Ministry of Defence) and		Deaths etc. both in English and Hindi	*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(आईसीआर प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 2018

सं.एफ.9-7/2017-यू.3 (ए).—जबिक, केंद्रीय सरकार को यूजीसी की सलाह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

- 2. और जबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साईंस (आईएसीएस), जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को समविश्वविद्यालय का दर्जा (नई श्रेणी के तहत) प्रदान करने के लिए 22.09.2017 को एक आवेदन प्राप्त हआ था।
- 3. और जबिक, यह आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अनुसार, सलाह के लिए युजीसी को अग्रेषित किया गया था।
- 4. और जबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था कि क्या इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साईंस (आईएसीएस), जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के आवेदन पर नई श्रेणी के तहत विचार किया जाए। समिति का यह अभिमत था कि "इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साईंस, जादवपुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) एक ऐसी संस्था है जो विशिष्ट और 'ज्ञान के उभरते क्षेत्रों' के शिक्षण और अनुसंधान पर फोकस करती है जिनका मौजूदा संस्थाओं द्वारा अध्ययन नहीं कराया जा रहा है। अत: यह संस्था, नई श्रेणी की संस्था के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के आधारभूत मानदंडों को पूरा करती है।"
- 5. इसके अलावा जबिक, जैसािक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समिवश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के तहत अपेक्षित है, यूजीसी ने संस्था के पास उपलब्ध अवसंरचना व अन्य सुविधाओं के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण हेतु एक अन्य विशेषज्ञ सिमिति का गठन किया था। इस सिमिति ने 26-27 दिसंबर, 2017 को संस्था का दौरा किया और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। आयोग ने दिनांक 08.02.2018 को आयोजित अपनी 529वीं बैठक में अपनी विशेषज्ञ सिमिति की रिपोर्ट (मद सं. 2.08) पर विचार किया। आयोग ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

"नई श्रेणी के तहत विचार किया और अनुमोदित किया। हालांकि, यह संकल्प पारित किया गया था कि संस्था को केवल इन्हीं 5 नए उभरते क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे, यूजीसी विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस विषय पर अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए।

- 6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह से एतद्वारा इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साईंस (आईएसीएस), जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को इसके संबद्ध विश्वविद्यालयों से आईएसीएस की अर्हता समाप्त किए जाने से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित करती है। यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट और समिति की सिफारिश के आधार पर, लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, पांच वर्षों के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पृष्टि की जाएगी।
 - 7. उपर्युक्त पैरा 6 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रमांक 4 पर उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन भी होगी; संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION) (ICR DIVISION)

New Delhi, the 8th May, 2018

No.F.9-7/2017-U.3 (A).—**Whereas,** the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University;

- 2. **And whereas,** an application was received on 22.09.2017 for grant of Deemed to be University status (under de novo category) to Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Jadavpur, Calcutta, West Bengal under Section 3 of the UGC Act, 1956;
- 3. **And whereas,** the application was forwarded to UGC for advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.
- 4. **And whereas**, UGC constituted an Expert Committee to recommend whether the application of Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Jadavpur, Calcutta, West Bengal may be considered under de-novo category. The Committee was of the view that "IACS, Jadavpur, Kolkata (West Bengal) is found to be an Institution with focus on teaching and research in unique and 'emerging areas of knowledge' not being pursued by existing institutions. As such, the Institute fulfils the basic criteria of UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 for de-novo category Institution".
- 5. **And further whereas,** as required under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, UGC constituted another Expert Committee for on the site inspection for verification of infrastructure and other facilities available with the Institute. The Committee visited the Institute from 26-27th December, 2017 and submitted its report before the Commission. The Commission considered the report of its Expert Committee in 529th meeting (Item No.2.08) held on 08.02.2018. The Commission resolved the following:

"Considered and approved under De-novo category. However, it was resolved that the Institute should not keep confined only to these 5 new emerging areas. It should make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines on the subject."

- 6. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Jadavpur, Calcutta, West Bengal, as an Institution deemed to be University under de-novo category for a provisional period of five years with effect from disaffiliation of IACS from its affiliating Universities. The status of Deemed to be University shall be confirmed after five years based on the review report of UGC Expert Committee and the recommendation of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- 7. The declaration as made in Para 6 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this notification;

SANJAY KUMAR SINHA, Joint Secretary